निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 123/2020 दावा
दायरा दिनांक 18.12.2020
निर्णय दिनांक :– 7.9.21

उनवान

1. पुरूषोत्तम पुत्र श्री प्रेमनारायण जाति माली निवासी चौकीबोरदा तहसील बारां।
2. सुरेश कुमार सुमन पुत्र श्री नाथूलाल सुमन जाति माली
3. सोनू कुमार सुमन पुत्र श्री नाथूलाल सुमन जाति माली निवासीगण चौकी बोरदा हाल निवासी अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।
2. उपंपजीयक अधिकारी बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 7.9.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम मेहता II एडवोकेट – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीलोद तहसील बारां की वर्तमान जमाबंदी संख्या 295 पुरानी 223की आराजी खसरा नंबर 1735/1734 रकबा 1.08 हेक्टेयर लगानी 14.04 रूपये तथा ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीलोदा तहसील बारां की जमाबंदी संख्या नया 296 पुराना 123 की आराजी खसरा नंबर 1736/1734 रकबा 0.53 हेक्टेयर लगानी 6.89 रूपये खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हेक्टेयर गैर मुमकिन चाह कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 हेक्टेयर स्थित है, जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी क्रम 1 व वादी क्रम 2 व 3 मौके पर एक दुसरे के खाते की आराजीयात पर काबिज है। इस [illegible] आपसी सहमति से वादी क्रम 1 वादी क्रम 2 ब 3 द्वारा भूमियां का मौका स्थिति के अनुसार अदला–बद[illegible] का निर्णय लिया जिसके अनुसार वादी क्रम 1 पुरूषोत्तम पुत्र प्रेमनारायण के खाते [illegible] खसरा नंबर 1735/1734 रकबा 1.08 हेक्टेयर मे से रकबा 0.63 हेक्टे[illegible] उत्तरी पूर्व [illegible] पश्चिमी भूमि वादी क्रम 2 व 3 को तथा वादी क्रम 2 व 3 के खाते की आराजी खसरा नंब[illegible]1736/1734 रकबा 0.[illegible] हेक्टेयर मे से

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.37 हेक्टेयर दक्षिणी व खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हेक्टेयर गैर मुमकिन चाह कुल 2 किता कुल रकबा 0.39 हेक्टेयर भूमि वादी क्रम 1 पुरूषोत्तम के नाम दर्ज कराने के लिये आपसी सहमति से विनिमय पत्र 10000 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 18.06.2020 को लिखाया जाकर गवाहान गवाही करवाई गई तथा डीड राईटर हेमराज शर्मा से लिखाया जाकर गवाहान गवाही करवाई गई तथा डीड राईटर हेमराज भार्मा से लिखवाया गया, जिसके बाद प्रतिवादी क्रम 2 उपपंजियक अधिकारी बारां के समक्ष दिनांक 19.06.2020 को पेश किया गया जो उसके द्वारा रसीद नंबर 202002116001920 दिनांक 19.06.2020 से नियमानुसार राशि जमा करवाई जाकर पंजीयन किया गया, जिसके पश्चात् वादीगण द्वारा विनिमय पत्र के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रतिवादी क्रम 1 तहसीलदार बारां से निवेदन किया गया, किन्तु तहसीलदार बारां द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने मे आनाकानी की गई, जबकि वादीगण द्वारा नियमानुसार विनिमय पत्र लिखवाया गया व नियम अनुसार विनिमय पत्र की राशि अदा की गई है, उसके बावजूद वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही किया जा रहा है, इसलिए वादीगण विनिमय पत्र दिनांक 18.06.2020 जो दिनांक 9.06.2020 को पंजीयन किया गया है, की पालना मे अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से विनिमय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम दर्ज कर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किया, किन्तु उनके द्वारा टालमटूल की गई, किन्तु अंतिम रूप से 11.09.2020 को स्पष्ट रूप से इंकार करने पर व सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के लिये कहने पर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल विनिमय पत्र दिनांक 18.06.2020, नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 296 नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 295 पेश की गई।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसील बारां मे स्थित है। वादी क्रम 1 व वादी क्रम 2 व 3 मौके पर एक दूसरे के खाते की आराजी पर काबिज है। वादीगण द्वारा आपसी सहमति से भूमियों का मौका स्थिति के अनुसार अदला–बदली करने का निर्णय लिया। वादी क्रम 1 पुरूषोत्तम के खाते की आराजी खसरा नंबर 1735/1734 रकबा 1.08 हेक्टेयर मे से रकबा 0.63 हेक्टेयर उत्तरी पुर्वी से पश्चिमी भूमि वादी क्रम 2 व 3 को तथा वादी क्रम 1 के खाते की आराजी खसरा नंबर 1736/1734 रकबा 0.53 हेक्टेयर मे से रकबा 0.[illegible] हेक्टेयर दक्षिणी व खसरा नंबर 801 रकबा 2.02 हेक्टेयर गैर मुमकिन चाह को वादी क्रम 1 पुरूषोत्तम के नाम दर्ज कराने के आपसी सहमति के विनिमय पत्र दस हजार रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 18.06.2020 को लिखाया जाकर गवाहन गवाही करवाई गई, जिसे उपपंजियन अधिकारी बारां के समक्ष दिनांक 19.06.

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:32 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

2020 को पेश किया गया, जिसे पंजियन अधिकारी द्वारा पंजियन किया गया। तहसीलदार बारां द्वारा उक्त विनिमय पत्र का नामान्तकरण दर्ज करने मे अनाकानी की गई। विनिमय पत्र की राशि अदा की गई, तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज होने के बावजूद वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही किया जा रहा है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे, तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादीगण को खातेदार कृषक घोशित किया जावे। तहसीलदार बारां द्वारा अपने जवाब मे बताया कि वादी द्वारा ग्राम बोरदा की आराजी खसरा नंबर 1735/1734 रकबा 1.08 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 1736/1734 रकबा 0.53 हेक्टेयर, खसरा नंबर 801 रकबा 0.01 हेक्टेयर के सम्बन्ध में वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण मौके पर काबिज अनुसार भूमियो की अदला–बदली जर्ये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के अनुसार वादी क्रम 1 पुरूषोत्तम के खसरा नंबर 1736/1734 रकबा 0.53 हेक्टेयर मे से 0.37 हेक्टेयर दक्षिणी व खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि जो द्वितीय पक्ष सुरेश कुमार व सोनू कुमार के खाते मे से होकर पुरूषोत्तम के खाते मे दर्ज होना है। इसी प्रकार द्वितीय पक्षकार सुरे । कुमार व सोनू कुमार के खाते के खसरा नंबर 1735/1734 रकबा 1.08 हेक्टेयर मे से 0.63 हेक्टेयर उत्तरी पूर्वी से पश्चिमी की भूमि दर्ज होना है, जो प्रथम पक्षकार पुरूषोत्तम के खाते मे से कम होकर दर्ज होना है। वर्तमान मे नामान्तकरण प्रक्रिया ऑन लाईन होने से कम ज्यादा रकबे की तरमीम का विकल्प नही होने से नामान्तकरण दर्ज नही हो पा रहा है, तथा सम्पूर्ण रकबे का विनिमय होने पर ही नामान्तकरण दर्ज किया जा सकता है। प्रस्तुत रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के अनुसार वादीगण के द्वारा आपसी सहमति से भूमियों का विनिमय करवाया गया था। मुताबिक विनिमय पत्र वादीगण को उनके द्वारा विनिमय की गई भूमि को खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण का वाद मुताबिक रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसील बारां के खसरा नंबर 1736/1734 रकबा 0.63 हेक्टेयर मे से 0.37 हेक्टेयर दक्षिणी व खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि वादी क्रम 1 एवं खसरा नंबर 1735/1734 रकबा 1.08 हेक्टेयर मे से 0.63 हेक्टेयर उत्तर पूर्व से पश्चिम की भूमि वादी क्रम 2 व 3 के मुताबिक रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के आधार पर खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 123/2020	धारा 88,89,188,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 07.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– ओम मेहता	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक
उनवान

1. पुरूषोत्तम पुत्र श्री प्रेमनारायण जाति माली निवासी चौकीबोरदा तहसील बारां।
2. सुरेश कुमार सुमन पुत्र श्री नाथूलाल सुमन जाति माली
3. सोनू कुमार सुमन पुत्र श्री नाथूलाल सुमन जाति माली निवासीगण चौकी बोरदा हाल निवासी अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।
2. उपंपजीयक अधिकारी बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसील बारां के खसरा नंबर 1736/1734 रकबा 0.63 हेक्टेयर मे से 0.37 हेक्टेयर दक्षिणी व खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि वादी क्रम 1 एवं खसरा नंबर 1735/1734 रकबा 1.08 हेक्टेयर मे से 0.63 हेक्टेयर उत्तर पूर्व से पश्चिम की भूमि वादी क्रम 2 व 3 के मुताबिक रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के आधार पर खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 07.09.2021.को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

संशोधित डिक्री

वाद संख्या 123/2020	धारा अन्तर्गत 88,89,188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक : 07.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओम मेहता	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. पुरूषोत्तम पुत्र श्री प्रेमनारायण जाति माली निवासी चौकीबोरदा तहसील बारां।
2. सुरेश कुमार सुमन पुत्र श्री नाथूलाल सुमन जाति माली
3. सोनू कुमार सुमन पुत्र श्री नाथूलाल सुमन जाति माली निवासीगण चौकी बोरदा हाल निवासी अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।
2. उपंपजीयक अधिकारी बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसी बारां के खसरा नंबर 1736/1734 रकबा 0.53 हेक्टेयर मे से 0.37 हेक्टेयर दक्षिणी व खसरा नंबर 8(रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि वादी क्रम 1 एवं खसरा नंबर 1735/1734 रकबा 1.08 हेक्टेयर मे से 0.(हेक्टेयर उत्तर पूर्व से पश्चिम की भूमि वादी क्रम 2 व 3 के मुताबिक रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के आधार खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 12.10.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

	व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner